संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक–4 / एम.आर. / रा0मे0बोर्ड / सेल–2 / 2017 / 1208 भोपाल , दिनांक 18/10/ 2017

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक
   स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।

विषयः– **The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RoPwD Act, 2016) को लागु करने विषयक।**

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की छायाप्रति का अवलोकन करे। भारत सरकार द्वारा अधिनियम में निःशक्तता के प्रकार 9 से बढ़ाकर 19 कर दिये गये है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निःशक्तता प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु अधिनियम में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना सुनिश्चित करे।

(डॉ0 जे.एल. मिश्रा)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड एवं
संचालक चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश

संलग्न –

पृ. क्रमांक–4 / एम.आर. / रा0मे0बोर्ड / सेल–2 / 2017 / भोपाल , दिनांक / / 2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की ओर सादर सुचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की ओर सादर सुचनार्थ प्रेषित।
3. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय की ओर सादर सुचनार्थ।
4. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।

अध्यक्ष
राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड एवं
संचालक चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश

The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 & The RoPwD Rules, 2017

Action Points for Health Department

Key Provisions of Act & Rules

Section	Health Department
RoPwD Chapter III: Rights & Entitlements	
10	• Develop mechanism to inform about reproductive & family planning • Develop Trg & Sensitisation programme for doctors- PwD subject to any medical procedure which leads to infertility witjout consent • Termination of pregnancy without consent – offence
RoPwD Chapters IV – Education	
17	• Support in ➢ Identification of Children with Disabilites ➢ Development of appropriate techniques & mechanisms
RoPwD Chapter V: Social Security, Health, Rehabilitation & Recreation	
24	• Revise Scheme of Health Care ➢ Medicine, Diagnostic Services & Corrective Surgery ➢ Notify income ceiling for free health care
25	• Provision of Free health care and notify the income • Barrier free access in HOSPITALS within specific time. • New construction / registration of HOSPITALS barrier free • Notify & enforce priority in attendance & treatment • Orientation of officers & staff • Promote various methods for preventing disabilies (review programmes to make space for interventions) • Formulate Scheme for promoting Health Care & preventing occurrence of disabilities • Screen children (0-18)yrs for identifying at risk cases • Develop module & facilities for trg on disabilities issues • Undertake awareness campaign on disability prevention • Protocol & training on Healthcare during disaster • Essential medical facilities for lifesaving emergency treatments & procedures • Sexual & reproductive healthcare especially for women wD

RoPwD Chapter VII : Spl Provisions for PwD (Benchmark) with high support needs	
38	• Orient members of Assessment Board on mechanism for considerin applications of high support
57	• Identify Medical Officers for issuing certificate of disability in Rules
58	• Issue guidelines • Orient designated officers on the guidelines
59	• Identify Appellate Authority

Salient Features of the Rights of the Persons with Disabilities Act, 2016

- **Rights based approach for PwDs**
  - Equality and non-discrimination
  - Mainstreaming for independent and Community life
  - Protection against cruelty and inhuman treatment
  - Access to justice
  - Penalties for offences
- **Affirmative Action**
  - Reservation of 4% in Government jobs & in promotion
  - Reservation of 5% in higher educational institutions
  - Reservation of 5% in land, developmental, poverty alleviation & schemes
  - Incentivising at least 5% reservation in private establishments
- **Entitlements**
  - Free education till 18 yrs
  - Free Health Care
  - Participation in Art & Sports
- **Strengthened Social Security**
  - Disability pension
  - Unemployment allowance
  - Care giver allowance to PwDs with high support
  - Insurance Cover

- **Accessibility as per standards laid by Central Government**
  - Public Buildings within 5 years
  - Transport & Personal Mobility
  - ICT
- **Implementation**
  - Create structures such State Advisory Board
  - Strengthening of the Office of State Commissioners of Disabilities
  - Creation of State Fund to provide financial support
- **Formulate New & Revise Old Schemes for Implementation**

21 Disabilities

- **Physical Disability**
  - Locomotor Disability – Locomotor Disability, Leprosy Cured, Cerebral Palsy, dwarfism, muscular dystrophy, acid attack victims
  - Visual Impairment – Blindness, Low vision
  - Hearing Impairment – Deaf, Hard of hearing
  - Speech & Language Disability
- **Intellectual Disability**
  - Specific Learning Disabilities
  - Autism Spectrum Disorder
- **Mental Behaviour**
- **Disability Caused**
  - Chronic Neurological Conditions - Multiple Sclerosis, Parkinson's Disease
  - Blood Disorder – Haemophilia, Thalessimia, Sickle Cell Disease
- **Multiple Disabilities**

मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में होगा।

(3) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमो में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का सं.49);

(ख) **"निःशक्तता प्रमाणपत्र"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र;

(ग) **"पंजीयन प्रमाण पत्र"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र;

(घ) **"प्रपत्र"** से अभिप्रेत है, नियमों के अंतर्गत उपाबद्ध प्रपत्र;

(ड) **"अधिसूचना"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(ढ) **"धारा"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(च) **"बेंचमार्क दिव्यांगता"** से अभिप्रेत है, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता के दिव्यांग व्यक्ति;

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो अधिनियम में परिभाषित है, किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं है, वहीं अर्थ होगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये है।

अध्याय–2

3. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) एवं (5) के पालन हेतु राज्य शासन दिशा–निर्देश अधिसूचित करेगी, परन्तु यह अधिसूचना इन नियमों के प्रवृत्त होने के 90 दिवस के अंदर की जायेगी।

4. राज्य शासन इन नियमों के प्रवृत्त होने के 30 दिवस के अंदर अधिनियम की धारा 6 के उपबंध (1) के पालन हेतु कार्यवाही विहित करेगी, जिससे दिव्यांगजनों को क्रूरता एवं अमानवीय व्यवहार से सुरक्षित रखा जा सकें।

5. **राज्य दिव्यांगता अनुसंधान समिति**

(1) दिव्यांगता अनुसंधान के लिए राज्य दिव्यांगता अनुसंधान समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

i.	राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट विज्ञान और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वृहत्त अनुभवी प्रतिष्ठित व्यक्ति	अध्यक्ष
ii.	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
iii.	आयुक्त, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी तथा यूनानी चिकित्सा	सदस्य
vi.	आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
v.	राष्ट्रीय या क्षेत्रीय या शैक्षणिक संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि जो अधिनियम में पंजीकृत हो तथा अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित पृथक–पृथक निःशक्तता समूहों से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रही हो, परन्तु इनमें से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला हो,	रादस्य
vi.	शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति जो दिव्यांग हो परन्तु वे उस दिव्यांगता समूह का प्रतिनिधित्व करते हो जो उपनियम 1(v) में न हो	सदस्य
vii.	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	सदस्य सचिव

(2) अध्यक्ष किसी विषय विशषज्ञ को समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकेगा।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उस तारीख से, जिसको वह पद धारण करते है, तीन वर्ष होगी, किन्तु वह पुनः एक और अवधि हेतु नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(4) आधे सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(5) गैरशासकीय सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों को राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा–भत्ता और दैनिक भत्ता की पात्रता होगी।

(6) राज्य शासन द्वारा समिति के कार्य हेतु प्रकिया एवं सचिवालयीन व्यवस्था विहित की जायेगी।

(7) कोई दिव्यांगजन किसी अनुसंधान का विषय नहीं होगा सिवाय तब जब अनुसंधान में उसके शरीर पर भौतिक प्रभाव अंतर्वलित हो।

(8) राज्य दिव्यांगता अनुसंधान समिति, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत् केन्द्रीय संस्थानों को छोड़कर राज्य की शासकीय/अशासकीय संस्थाओं एवं व्यक्तियों को दिव्यांगता में अनुसंधान करने की अनुमति प्रदान करेगी।

6. दिव्यांगजनों से दुर्व्यवहार, हिंसा एवं शोषण की रोकथाम

दिव्यांगजनों से दुर्व्यवहार, हिंसा एवं शोषण की रोकथाम हेतु निम्न कार्यवाही की जायेगी :–

(1) ऐसी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक विधिक उपाय करते हुये अपराध संज्ञान में लेते हेतु घटना की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाई जायेगी।

(2) ऐसे परिवादों पर कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133 से धारा 143 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(3) राज्य शासन दिव्यांगजनों से दुर्व्यवहार, हिंसा एवं शोषण की घटनाओं एवं परिवादों के निराकरण हेतु नियमों के प्रवृत्त होने के 60 दिवस मे निम्न कार्यवाही विहित करेगी :–

(क) सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया,

(ख) घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम

(ग) परिवेदित दिव्यांगजनों की बचाव, सुरक्षा एवं पुर्नवास

(4) राज्य शासन दिव्यांगजनों से दुर्व्यवहार, हिंसा एवं शोषण के विरुद्ध जागरुकता बढाने एवं सार्वजनिक सूचनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु एक सूचना तंत्र 6 माह के अंदर विकसित करेगी।

7. संरक्षण एवं सुरक्षा, आपदा प्रबंधन

(1) राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा ऐसी प्रक्रिया इन नियमों के प्रवृत्त होने के 90 दिवस के अंदर विहित की जायेगी जिससे आपदा के समय दिव्यांगजन सुरक्षित रह सके।

(2) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित निःशक्तताओं के निःशक्तजनों का रिकार्ड रखेगा, जिससे आपदा के समय उसे आपदा की तैयारी के लिए सूचित किया जायेगा।

8. दिव्यांग बच्चों हेतु आश्रयगृह

राज्य शासन द्वारा नियम के प्रवृत्त होने के 1 वर्ष के भीतर स्वयं अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से ऐसे आश्रयगृह को चालु किया जायेगा, जिसमें ऐसे बच्चों की देखभाल एवं प्रबंध किया जाना होगा जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा राज्य शासन को देखभाल के लिए सौपा गया हो।

9. परिवारविहिन दिव्यांगजनों को कानूनी सहायता

(1) राज्य शासन नियमों के प्रवृत्त होने के 6 माह में ऐसी व्यवस्था बनावेगी जिससे दिव्यांगजनों को विशेषकर जो परिवारविहिन है तथा जिन्हें उच्च स्तरीय सहायता की आवश्यकता है, वे न्याय प्राप्त कर सके तथा अपने विधिक अधिकारों का उपयोग कर सके।

(2) राज्य शासन द्वारा सभी सार्वजनिक उपयोग हेतु नवीन दस्तावेजों को सुगम्य प्रारुप में रखने की व्यवस्था 6 माह में बनानी होगी। पुराने दस्तावेजों को एक प्रक्रियाधीन, समयबद्ध व्यवस्था में सुगम्य प्रारुप में किया जाना होगा।

10. दिव्यांगजनों को सीमित संरक्षकता

(1) दिव्यांगजनों के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में सीमित संरक्षकता का समर्थन प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टर प्राधिकृत अधिकारी होंगे :–

(अ) कानूनी बाध्यता वाले निर्णय लेने में सहयोग करने हेतु,

(ख) घरेलू देखभाल करने हेतु,

(ग) दिव्यांगजन की चल/अचल संपत्ति के प्रबंधन हेतु,

(द) अन्य कोई ऐसी आवश्यकता जो दिव्यांगजन की परिस्थितिवश आवश्यक हो,

(2) सीमित संरक्षकता प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांगजन को वास्तव में संरक्षक की आवश्यकता है तथा ऐसा दिव्यांग कानूनी तौर पर स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।

(3) सीमित संरक्षकता हेतु अभिभावक से आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर प्राधिकृत अधिकारी निर्णय लेंगे।

बशर्ते कि सीमित अभिभावक के रुप में कार्य करने के लिए व्यक्ति की सहमति भी ऐसी सीमित संरक्षकता के लिए प्राप्त की जायेगी।

(4) उप नियम (1) के तहत जारी सीमित संरक्षकता की वैधता प्रारंभ में अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढाया जा सकेगा।

बशर्ते कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुनः वहीं प्रक्रिया अपनाई जायेगी जैसे कि सीमित संरक्षकता प्रदान करते समय अपनाई गई थी।

(5) सीमित संरक्षकता प्रदान करते समय प्राधिकृत अधिकारी एक उपयुक्त व्यक्ति को सीमित संरक्षक के रुप मे नियुक्त करने पर भी विचार करेगा :–

(अ) दिव्यांग व्यक्ति के माता–पिता या वयस्क बच्चे,

(ब) सगे भाई एवं बहन,

(स) अन्य रक्त संबंधी रिश्तेदार या देखभाल करने वाले या स्थानीय प्रमुख व्यक्तित्व या अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अशासकीय संस्था,

(द) दिव्यांग महिला के मामले में सीमित संरक्षक कोई महिला ही होगी तथा महिला के न होने पर सीमित संरक्षक पुरुष के साथ सह–सीमित संरक्षक महिला का होना आवश्यक होगा,

(6) केवल उन व्यक्तियों जो 18 वर्ष से अधिक आयु के है, और जिन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 1) के किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो, को नियुक्त किया जायेगा।

(7) उप नियम (1) के तहत नियुक्त सीमित संरक्षक अपनी ओर से कानूनी निर्णय लेने के पूर्व सभी मामलों में दिव्यांग व्यक्ति से परामर्श करेगा।

(8) नियुक्त सीमित संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी तौर पर लिया गया निर्णय दिव्यांग व्यक्ति के हित में है।

(9) सीमित संरक्षक का दायित्व होगा की वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दिव्यांगजन से संबंधितचल/अचल संपत्ति का विवरण नियमानुसार निर्धारित प्रारुप में प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(10) संरक्षक को हटाया जाना – प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष सीमित संरक्षक की शिकायत प्राप्त होने पर जांच के पश्चात सीमित संरक्षक को निम्न कारणों से हटाया जा सकेगा :–

(क) दिव्यांगजन का दुरुपयोग कर रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है।

(ख) संपत्ति का दुर्विनियोजन या उपेक्षा कर रहा है।

(ग) अन्य कोई विशिष्ट कारण जो प्राधिकृत अधिकारी के मत में सीमित संरक्षक को हटाये जाने का आधार हो।

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी सीमित संरक्षक को हटाने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।

11. सामुदायिक सहभागिता एवं सामाजिक जागरुकता को बढाना

(1) दिव्यांगजनों के वैधानिक अधिकारों के संबंध में सामुदायिक सहभागिता एवं सामाजिक जागरुकता बढाने के लिए मीडिया प्लान बनाने एवं उनके क्रियान्वयन हेतु आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

(2) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये जाने वाले उपाय, नियमों के प्रवृत्त होने के 60 दिवस के अंदर प्रसारित किये जायेंगे।

अध्याय–3

12. शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता हेतु नियम एवं शर्तें

निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रायोजन हेतु शैक्षणिक संस्थाओं को विभागीय मान्यता प्रदान करने के पूर्व, दिव्यांग बच्चों को समेकित शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त शैक्षणिक संस्थाओं को दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 की धारा 16 के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

13. दिव्यांगजन समेकित शिक्षा

राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजन समेकित शिक्षा योजना लागू की जावेगी, जिसमें निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी:–

(क) प्रत्येक पांच वर्ष में दिव्यांगजनों का चिन्हांकन कर सोशल रजिस्ट्री की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें उनके शैक्षणिक स्तर की जानकारी होगी।

(ख) नियम प्रवृत्त होने के एक वर्ष में मध्यप्रदेश दिव्यांगजन समेकित शिक्षण कार्यक्रम लागू किया जायेगा।

(ग) समेकित शिक्षण एवं अधिनियम में दिये गये शिक्षण के अधिकारों की पूर्ति हेतु जिला स्तर पर समेकित शिक्षण इकाई की स्थापना की जावेगी।

14. प्रौढ शिक्षा

प्रौढ दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा में भागीदारी को बढावा देने, उनकी सुरक्षा और दूसरों के साथ समान रुप से जारी रखने वाले शिक्षा कार्यक्रमों के लिए शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना राज्य शासन नियमों के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर लागू करेगी।

अध्याय–4

15. कौशल उन्नयन, रोजगार एवं स्वरोजगार

(1) राज्य शासन दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल उन्नयन, रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु योजनाएं एवं कार्यक्रम नियमों के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर तैयार करेगी।

(2) राज्य शासन किसी भी स्थापन को अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अनुपालन से मुक्त रखने की अनुमति देती है तो यह मामला राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में अनुमोदित कराया जावेगा।

(3) दिव्यांगजनों के पदस्थापना एवं स्थानान्तरण की नीति में राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड की सलाह प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

16. समान अवसर नीति के प्रकाशन की रीति

(1) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम (8) में समान अवसर के प्रकाशन की रीति केन्द्रीय शासन द्वारा विहित की गई है। प्रत्येक स्थापन द्वारा इस रीति की एक प्रति राज्य दिव्यांगता आयुक्त को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम (9) में स्थापनों में अभिलेखों के रखे जाने का प्ररूप और रीति केन्द्रीय शासन द्वारा विहित की गई है। प्रत्येक

स्थापन द्वारा इस रीति का पालन करते हुए इसे राज्य शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

3. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम (10) में सरकारी स्थापनों द्वारा शिकायत रजिस्टरों को रखे जाने की रीति केन्द्रीय शासन द्वारा विहित की गई है। प्रत्येक स्थापन द्वारा इस रीति का पालन करते हुए इसे राज्य शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(भारत सरकार अनुसार लिखा जाना उचित)

17. समान अवसर नीति के प्रकाशन की रीति

(1) प्रत्येक स्थापन दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति का प्रकाशन करेगा।

(2) समान अवसर नीति का स्थापनों द्वारा उनकी वेबसाईट पर प्रदर्शन किया जायेगा। यदि वेबसाईट नहीं है तो उनके परिसर में सहज दृश्य स्थान पर इसका प्रदर्शन किया जायेगा।

(3) बीस कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारी रखने वाले प्रायवेट स्थापनों के लिए और शासकीय स्थापनों के लिए समान अवसर नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :–

(क) दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और प्रसुविधाएं ताकि वह स्थापनों में अपने कर्त्तव्यों का प्रभावी रुप से निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

(ख) स्थापन में दिव्यांगजनों के लिए पहचाने गये समुचित पदों की सूची

(ग) विभिन्न पदों पर दिव्यांगजनों के चयन की रीति, भर्ती पश्चात और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण, स्थानांतरण और तैनाती में अधिमानतः, विशेष छुट्टी आवासों के आबंटन में अधिमानतः, यदि कोई हो, तथा अन्य सुविधाएं

(घ) सहायक युक्तियों, बाधामुक्त पहुंच तथा दिव्यांगजनों के लिए अन्य उपबंध

(ङ) दिव्यांगजनों के भर्ती की देख–रेख के लिए स्थापन में समन्वय अधिकारी की नियुक्ति तथा ऐसे कर्मचारियों के लिए सुविधाओं और प्रसुविधाओं का उपबंध

परन्तु यह कि ऐसे समन्वय अधिकारी को दिव्यांगता, समानता तथा शिष्टाचार में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

(4) बीस से कम कर्मचारियों वाले निजी स्थापनों में समान अवसर नीति में, अन्य बातों के साथ, दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और प्रसुविधाएं अन्तर्विष्ट होंगी ताकि वह स्थापन में अपने कर्त्तव्यों का प्रभावी रुप से निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

18. स्थापनों में अभिलेखों का रख–रखाव

(1) प्रत्येक स्थापन हार्ड और सॉफ्ट प्रतियों में अभिलेखों को रखेगा, जिसमें पुस्तकों के रुप में या कम्प्यूटर या टेप या डिस्क या किसी अन्य इलैक्ट्रानिकी प्रारुप में रखे जाने वाले अभिलेख या किसी भी किस्म की लिखित सूचना सम्मिलित है, चाहे वह साधारण या मशीनी भाषा में अभिव्यक्त हो और ऐसे अन्य दस्तावेज, जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उपयोगी हो सकते है, अंतर्विष्ट है।

(2) अभिलेखों में निम्नलिखित विशिष्टयां उपदर्शित की जाएगी, अर्थात् :–

(क) निःशक्तजनों की संख्या, जो नियोजित है तथा वह तारीख जिससे वे नियोजित है;

(ख) ऐसे नियोजित व्यक्तियों के नाम, लिंग और पता;

(ग) ऐसे नियोजित व्यक्तियों की दिव्यांगता का प्रकार;

(घ) ऐसे नियोजित दिव्यांगजनों द्वारा किये जा रहे कार्य की प्रकृति; और

(ङ) ऐसे दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जाने वाली दिव्यांगता का प्रकार;

(3) प्रत्येक स्थापन मांग किए जाने पर इन नियमों के अधीन रखे गए अभिलेखों को निरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को उपलब्ध कराएगा तथा ऐसी सूचना प्रदान करेगा, जो यह पता लगाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो कि क्या उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है।

(4) प्रत्येक स्थापन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पूछे जाने पर अनुपालन किए जा रहे अभिलेखों का सत्यापन करेगा।

19. सरकारी स्थापनों द्वारा शिकायत रजिस्टर का अनुरक्षण

(1) प्रत्येक सरकारी स्थापन राजपत्रित अधिकारी के रैंक से अन्यून अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करेगा।

परन्तु जहां किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करना संभव न हो युक्तियुकत रुप से वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

(2) शिकायत निवारण अधिकारी इस प्रयोजन के लिए शिकायतों का एक रजिस्टर और विर्निर्दिष्ट रुप से इस प्रयोजन के लिए सार्फ्ट कॉपी रखेगा तथा शिकायत को एक पृथक पृष्ठ आंबटित किया जायेगा।

(3) शिकायत निवारण अधिकारी रजिस्टर में निम्नलिखित विशिष्टियां रखेगा, अर्थात्

(क) शिकायत की तारीख;
(ख) शिकायतकर्ता का नाम;
(ग) शिकायत की जाचं कर रहे व्यक्ति का नाम;
(घ) घटना का स्थान;
(ङ) स्थापन अथवा व्यक्ति का नाम जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है;
(च) शिकायत का सारांश;
(छ) कोई अतिरिक्त सूचना;
(ज) दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो तो;
(झ) शिकायत निवारणकर्ता अधिकारी द्वारा निराकरण की तारीख;
(ञ) जिला स्तरीय समिति द्वारा अपील के निराकरण के विवरण; और
(च) कोई अन्य सूचना

अध्याय–5

20. सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास एवं मनोरंजन

(1) राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को पर्याप्त सुरक्षित एवं प्रोत्साहित करने हेतु योजना एवं कार्यक्रम इस प्रकार बनाये जायेंगे कि दिव्यांगजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता, इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में सामान्य व्यक्ति को मिलने वाली आर्थिक सहायता से, कम से कम 25 प्रतिशत अधिक हो।

(2) राज्य शासन इस हेतु अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार योजनाएं तैयार करेगी।

(2) इस योजना के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था की जावेगी :–

(अ) सामुदायिक केन्द्र जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं परामर्श का व्यवस्था उपलब्ध हो,

(ब) निराश्रित दिव्यांगजन जिनके परिवार न हो अथवा जिन्हें छोड़ दिया गया है अथवा जिनके पास आश्रय अथवा रोजगार के साधन नहीं है, के आश्रय की व्यवस्था,

(स) दिव्यांगजनों को आवश्यक कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण, दवाईयां, स्वास्थ्य जांच एवं शल्य चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था,

(द) दिव्यांगजनों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना,

21. स्वास्थ्य सुरक्षा

(1) ऐसे दिव्यांगजन जिनके परिवार के पास पांच एकड़ से कम सिंचित भूमि एवं 10 एकड़ से कम असिंचित भूमि है, उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल की पात्रता होगी।

(2) समस्त शासकीय/अशासकीय/निजी अस्पतालों को बाधारहित करने के साथ–साथ दिव्यांगजनों को उपचार एवं देखभाल में प्रांथमिकता दी जायेगी।

22. सांस्कृतिक गतिविधि

राज्य शासन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने हेतु एक योजना बनायेगी।

23. खेल–कूद गतिविधि

राज्य शासन खेलकूद की गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने हेतु एक योजना बनायेगी।

24. दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा

(1) शासन से सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में बेंचमार्क दिव्यांगजनों हेतु 5 प्रतिशत सीट सुरक्षित रखी जायेगी।

(2) बेंचमार्क दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

25. प्रत्येक शासकीय स्थापन में दिव्यांगजनों के रोजगार हेतु 6 प्रतिशत आरक्षण निम्न श्रेणियों हेतु रहेगा :–

(अ) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,

(ब) डेफ और हार्ड आफ हियरिंग,

(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी सहित लोकोमोटर डिसेबिलिटी,

(द) ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसिबेलेटी और मानसिक बीमारी,

(इ) अ से द के तहत व्यक्तियों के बीच बहुविकलांगता,

26. रिक्तियों की संगणना

(1) रिक्तियों की संगणना के प्रयोजन के लिए पदों के प्रत्येक समूह में कैडर संख्या में कुल रिक्तियों के छैः प्रतिशत को शासन द्वारा बैंचमार्क निशक्तताओं के लिए गणना में लिया जायेगा।

(2) अधिनियम की धारा 34 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता निम्नानुसार है :–

(अ) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,

(ब) डेफ और हार्ड आफ हियरिंग,

(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी सहित लोकोमोटर डिसेबिलिटी,

(द) ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसिबेलेटी और मानसिक बीमारी,

(इ) अ से द के तहत व्यक्तियों के बीच बहुविकलांगता,

(3) प्रत्येक सरकारी स्थापन दिव्यांगजनों के लिए कैडर संख्या में रिक्तियों की संगणना करने के प्रयोजन के लिए शासन द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार एक रिक्ति आधारित रोस्टर रखेगा।

(4) रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करते समय प्रत्येक सरकारी स्थापन प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के साथ अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांगताओं को उपदर्शित करेगा।

(5) अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार निःशक्तजनों के लिए आरक्षण क्षैतिजिक(Horizontal) होगा और बैंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को पृथक वर्ग के रुप में आरक्षित किया जायेगा।

27. रिक्तियों की अदला–बदली – सरकारी स्थापन अधिनियम की धारा 34 के निबंधनों में रिक्तियों का अदला–बदली केवल तब करेगा जब भर्ती की सम्यक प्रक्रिया जैसे बैंचमार्क निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने का अनुसरण किया गया है और भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् कोई समुचित अभ्यार्थी नहीं पाया गया है।

28. विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना

(1) प्रत्येक सरकारी स्थापन स्थानीय विशेष रोजगार कार्यालय को प्ररुप दिव्यांगजन नियुक्ता विवरणी (पीडीईआर) 1 में प्रत्येक छह माह में एक बार तथा प्ररुप (पीडीईआर) 2 में प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

(2) विवरणी को संबंधित तारीखों से तीस दिन के भीतर अर्थात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च और 30 सितम्बर को प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) द्विवार्षिक विवरणी को प्रत्येक एकांतर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन के भीत प्रस्तुत किया जायेगा।

परन्तु प्रथम द्विवार्षिक विवरणी 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया जायेगा।

29. प्ररुप जिसमें नियोक्ता द्वारा अभिलेख रखे जाने है

सरकारी स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता प्ररुप (पीडीईआर) 3 में निःशक्त कर्मचारियों के अभिलेख रखेगा।

30. पदों का चिन्हांकन हेतु समिति

किसी भी स्थापन में दिव्यांगजनों हेतु पदों का चिन्हांकन एवं उससे संबंधित परिवादों को सुलझाने के लिए निम्न विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा :–

1.	अपर मुख्य सचिव,	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग वित्त, विधि,	सदस्य
3.	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	सदस्य–सचिव

31. आयु सीमा में छूट

दिव्यांगजनों को राज्य शासन की शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर विस्तारित करने हेतु दिव्यांगजनों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट सहित अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।

32. निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने हेतु इनसेंटिव

राज्य शासन, निजी क्षेत्रों के रोजगार प्रदायकों, जिन्होंने कुल नियोजन के 5 प्रतिशत तक दिव्यांगजनों का नियोजन कराया है, को इनसेटिव मुहैया कराने की योजना बनायेगी।

33. विशेष रोजगार कार्यालय

इन नियमों के प्रवृत्त होने के 60 दिवस के भीतर प्रत्येक स्थापन द्वारा उनके नियोजन में दिव्यांगजनों से संबंधित रिक्तियों एवं नियोजित किये गये दिव्यांगजनों की सूचना विशेष रोजगार कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य सरकार ऐसी जानकारी प्राप्त करने हेतु 6 माह के भीतर ऑनलाइन व्यवस्था तैयार करेगी।

34. विशेष योजनाएं

राज्य की सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं में दिव्यांगजनों हेतु 6 प्रतिशत आरक्षण किया जायेगा। इस आरक्षण में महिलाओं हेतु कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी होगी। समस्त विभाग अपने नोटिफिकेशन एवं दिशा–निर्देश आगामी 60 दिवस में जारी करेंगे।

अध्याय–7

35. उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों हेतु विशेष उपबंध

कोई भी दिव्यांग जिसे हाई सपोर्ट की आवश्यकता है वे इस हेतु जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र को ऑनलाइन आवेदन करेंगे। प्राप्त आवेदन पर केन्द्र शासन द्वारा अधिसूचित मूल्यांकन बोर्ड द्वारा मूल्यांकन कराने की व्यवस्था बनायेंगे। मूल्यांकन बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक सहायता की मांग हेतु कलेक्टर के माध्यम से प्रकरण आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय को स्वीकृति हेतु भेजेंगे। राज्य शासन द्वारा हाई सपोर्ट दिव्यांगजनों के लिए पृथक से राज्य निधि में 20 प्रतिशत राशि आरक्षित रखी जावेगी।

अध्याय–8

36. सुगम्यता हेतु नियम

(1) राज्य शासन द्वारा दिव्यांगों को आवागमन के साधनों में सुगम्यता प्रदान करने के लिए प्रमुख सचिव, परिवहन की अध्यक्षता में एक समिति बनायी जायेगी जो अधिनियम की धारा 41 के उपबंधों के पालन हेतु कार्यवाही करेगी।

(2) उक्त समिति में प्रमुख सचिव, शहरी विकास, सामाजिक कल्याण, लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण विकास सम्मिलित होंगे।

(3) राज्य शासन द्वारा बनाये जाने वाले सभी भवनों एवं सार्वजनिक स्थान मय सड़क क्रासिंग, फुटपाथ आदि को नवीन भवनों के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम .... प्रतिशत राशि सुगम्यता हेतु आरक्षित रखी जावेगी। इसके अतिरिक्त सभी पुराने भवनों को आगामी 3 वर्ष में सुगम्य करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(4) प्रत्येक संस्थान निम्नलिखित मामलों का अनुपालन करेगा– भौतिक वातावरण, परिवहन और सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे :–

(क) परिवहन–रेल, सार्वजनिक बस आदि में दिव्यांगजनों हेतु बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराना।

(ख) सड़क –

(i) दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए सड़कों पर लाल बत्तियों पर श्रवण संकेतों का प्रतिष्ठापन;

(ii) व्हील चेयर का उपयोग करने वाले निःशक्तजनों की सहज पहुंच के लिए किनारे काटना और पटरियों में ढलान बनाना;

(iii) दृष्टिहीन या कम दृष्टिवाले व्यक्तियों के लिए जैबरा क्रासिंग की सतहों को उत्कीर्ण करना;

(iv) दृष्टिहीन या कम दृष्टिवाले व्यक्तियों के लिए रेल्वे प्लेटफार्म के किनारे को उत्कीर्ण करना ;

(v) दिव्यांगता के समुचित प्रतिकों को विकसित करना;

(vi) समुचित स्थानों पर चेतावनी संकेतों को लगाना;

(ग) निर्मित परिवेश में–(i) सार्वजनिक भवनों में रैम्प;

(ii) शौचालयों को व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले दिव्यांगजनों के अनुकुल बनाना;

(iii) लिफ्ट में ब्रेल प्रतीक और श्रवण संकेत लगाना;

(iv) अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य चिकित्सीय देखभाल और पुनर्वास स्थानों पर रैम्प की व्यवस्था;

(v) शासकीय कार्यालयों को बाधारहित बनाना;

37. पहुंच मानकों की समीक्षा

शासन द्वारा समय–समय पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर समीक्षा की जायेगी।

38. सुगम्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर राज्य शासन द्वारा आडियो प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को सुगम्य करने की कार्यवाही की जायेगी।

39. उपभोक्ता उत्पाद

राज्य शासन द्वारा राज्य में विकसित उत्पादित एवं वितरित होने वाले यूनिवर्सल डिजाइन उत्पादनों को विशेष इन्सेटिव देने हेतु एक योजना तैयार की जावेगी।

40. मानव संसाधन

मानव संसाधन के विकास हेतु राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद् की शक्तियों को समन्वय करते हुए राज्य शासन द्वारा मानव संसाधन विकास हेतु अन्य क्षमता विकास करने के लिए राज्य स्तर पर एक संसाधन केन्द्र विकसित किया जायेगा। इस हेतु राज्य शासन द्वारा आवश्यकता आधारित विश्लेषण एवं कार्ययोजना, नियमों के प्रवृत्त होने के 6 माह के भीतर लागू की जावेगी।

अध्याय–9

41. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अशासकीय संस्थाओं को मान्यता

(1) अधिनियम की धारा 51(1) के प्रयोजन हेतु आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा नामांकित अधिकारी धारा 50 के अंतर्गत

स्थापित की जाने वाली संस्थाओं के पंजीयन के लिए प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

(2) संबंधित अशासकीय संस्था **फार्म–ए** में संबंधित जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश को आवेदन करेंगे।

(3) आवेदन–पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करना होगा :–

(1) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य के दस्तावेजी प्रमाण,

(2) संस्था का संविधान, नियमावली,

(3) पिछले 3 वर्षो की गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन, सी.ए. का ऑडिट प्रतिवेदन,

(4) संस्था में नियोजित व्यक्तियों के नाम सहित संख्या एवं उनके कार्य, मानदेय की जानकारी,

(5) संस्था में नियोजित विशेषज्ञों की संख्या, नाम तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता/अर्हता संबंधी जानकारी,

(6) आवेदक के निवास का प्रमाण–पत्र, ई–मेल, दूरभाष, मोबाइल नम्बर, वेबसाइट की जानकारी,

(4) उप नियम (1) के तहत बनाये गये प्रत्येक आवेदन संस्था के संबंध में निम्न लिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा :–

(1) संस्थान कम से कम तीन वर्ष से दिव्यांग व्यक्तियों के पुर्नवास के संबंध में कार्य कर रहा हो।

(2) संस्थान भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी अन्य कानून के अधीन राज्य में लागू होने वाले समय के लिए पंजीकृत है और इस तहत के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये।

(3) संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चल रही है।

(4) संस्थान में दिव्यांग बच्चों की विशेष जरुरतों को पूरा करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत पेशेवरों को नियुक्त किया है।

(5) संस्था में दिव्यांगों के लिए पर्याप्त शिक्षण–प्रशिक्षण की सामग्री उपलब्ध है।

(6) संस्थान ने पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षण खाता और वार्षिक रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को जमा कर दिये गये हैं।

(5) संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा आवेदन प्राप्ति के पश्चात 30 दिवस की कार्यावधि में संस्था के कार्यकलापों की जांच कर विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेंगे। तदुपरांत संबंधित जिले के कलेक्टर की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

(6) आवेदन प्राप्ति के पश्चात सक्षम अधिकारी आवश्यक जांच उपरांत, समाधान पश्चात धारा 50 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र देगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी होने की दिनांक से 3 वर्ष के लिए वैध रहेगा। परन्तु स्वैच्छिक संस्था को प्रतिवर्ष किये गये कार्यो का प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण हेतु रजिस्ट्रीकरण पंजीयन की अवधि समाप्त होने के 60 दिवस पूर्व आवेदन देना होगा।

42. प्रमाण–पत्र देने से इंकार करने संबंधी आदेश

सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् प्रमाण–पत्र देने से इंकार करने का आदेश दे सकेगा, ऐसे आदेश में ऐसे प्रमाण–पत्र को देने से इंकार करने के विशिष्ट कारणों का उल्लेख होगा और आवेदक को तदनुसार रजिस्ट्रीकृत डाक से सूचित किया जायेगा।

43. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की वैधता

धारा 50 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जब तक उसे धारा 52 के अधीन खारिज न कर दिया गया हो, 3 वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

44. अपील

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र देने से इंकार करने या प्रमाण–पत्र खारिज करने के आदेश से कोई व्यक्ति 30 दिन की कालावधि के भीतर ऐसे इंकार करने या खारिज करने के विरूद्ध राज्य सरकार/आयुक्त, निःशक्तजन,म.प्र. को अपील कर सकेगा;

परन्तु यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि उक्त कालावधि में अपील प्रस्तुत न करने के उपयुक्त कारण है, तो वह उक्त 30 दिन की कालावधि के पश्चात् अपील विचार हेतु ग्रहण कर सकेगी।

अध्याय–10

45. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी

(1) दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शासकीय चिकित्सालय/संस्था का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

(2) विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के प्रमाणन हेतु संबंधित दिव्यांगताओं के विषय विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(3) शासकीय चिकित्सालय में विषय विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुपलब्धता की स्थिति में निजी चिकित्सा महाविद्यालय/उस विषय से संबंधित निजी विशेषज्ञ चिकित्सक को शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसा करने हेतु अधिकृत किया जा सकेगा। तदपरांत उक्त चिकित्सक के अनुशंसा के आधार पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

46. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन

(1) विनिर्दिष्ट दिव्यांगताग्रस्त कोई व्यक्ति प्ररुप चार में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेगा और निम्नलिखित को आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगा–

(क) उस जिले, जिसमें आवेदक निवास करता है, जैसा कि आवेदन में आवास के सबूत के रुप में वर्णन किया गया है, का कोई चिकित्सा प्राधिकारी या कोई अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी; या कोई अनुसूची एक में दी गई सारणी अनुसार रहेंगे।

(ख) किसी सरकारी अस्पताल में संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी जिसमें उसने अपनी दिव्यांगता के संबंध में वह उपचार करा रहा है या उसने उपचार कराया है।

परन्तु जहाँ कोई दिव्यांगजन अवयस्क है या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है या किसी ऐसी दिव्यांगता से ग्रस्त है जो उसे स्वयं ऐसा आवेदन करने में अनफिट या असमर्थ बनाती है तो उसके निमित्त आवेदन उसके विधिक अभिभावक या अधिनियम के अधीन पंजीकृत ऐसे संगठन द्वारा किया जा सकेगा जिसकी देखभाल के अधीन उक्त दिव्यांगजन है।

(2) आवदेन के साथ निम्नलिखित सलंग्न होंगे :–

(क) आवास का प्रमाण;

(ख) पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफस; और

(ग) आधार नम्बर अथवा आधार इनरालेमैंट नम्बर, यदि कोई हो तो।

नोटः जिस आवदेक के पास आधार और आधार इनरालेमैंट नम्बर होगा उसे किसी अन्य आवास प्रमाण के देने की आवश्यकता नहीं होगी।

47. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी किया जाना

(1) ऑनलाईन/सीधे आवदेन प्राप्त हो जाने के बाद चिकित्सा प्राधिकारी आवदेक द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन करेगा और केन्द्र सरकार द्वारा जारी सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों में दिव्यांगता का पता लगायेगा तथा स्वयं का यह समाधान हो जाने पर कि आवदेक दिव्यांगजन है यथा स्थिति प्ररुप–5, प्ररुप–6 और प्ररुप–7 में उसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आवदेन की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

(3) सम्यक जाँच के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी –

(क) उन मामलों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करेंगा जहाँ दिव्यांगता की डिग्री में समय के साथ परिवर्तन की कोई सभांवना नही हैं; अथवा

(ख) उन मामलों में जहाँ समय के साथ दिव्यांगता के स्तर में परिवर्तन की संभावना है अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण–पत्र देगा और प्रमाण–पत्र की विधि मान्यता की अवधि को उपदर्शित करेंगा।

(4) यदि किसी आवदेक को दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो चिकित्सा प्राधिकारी लिखित में कारणों से उसे

प्ररुप–8 में आवदेन की प्राप्ति की तारीख से एक माह की अवधि के अन्दर सूचित करेगा।

48. दिव्यांगता प्रमाणपत्र का साधारणतया सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होना

दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, किसी व्यक्ति के, शासन की योजनाओं या शासन द्वारा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठनों की योजनाओं के अधीन अनुज्ञेय प्रसुविधाओं, रियायतों, फायदों हेतु आवेदन करने में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो शासन द्वारा सुसंगत योजनाओं में या अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समर्थ बनायेगा।

49. अपील

प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से परिवेदित व्यक्ति ऐसे निर्णय के 90 दिवस के भीतर आयुक्त, निःशक्तजन, म.प्र. को अपील करेगा। अपीलीय अधिकारी को निम्न तरीके से अपील की जायेगीः–

1. अपील में संक्षिप्त पृष्ठभूमि एवं अपील बनाने के आधार शामिल होंगे।
2. अपील के साथ प्रमाणन अधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र या अस्वीकृति पत्र की प्रति संलग्न की जाये।

   बशर्ते कि निःशक्त व्यक्ति नाबालिक या किसी ऐसी निःशक्तता से पीड़ित है जिससे वह स्वयं अपील नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में उसकी ओर से अपील उसके कानूनी या सीमित संरक्षक द्वारा की जा सकेगी।
3. इस तरह की अपील प्राप्ति पर अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा और उसके बाद इस तरह के तर्कसंगत और विस्तृत आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।
4. उपनियम (1) के तहत प्रत्येक अपील पर 60 दिवस के भीतर निर्णय लिया जायेगा।

50. निरसित अधिनियम के अधीन जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र की विधिमान्यता

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अधीन जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र

इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् उसमें उल्लेखित अवधि तक विधिमान्य बना रहेगा।

अध्याय–11

51. राज्य सलाहकार बोर्ड

(1) राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 66 (2) के अनुरूप किया जायेगा।

(2) राज्य शासन द्वारा धारा 66 (2) (इ) (II) के अधीन चक्रानुक्रम में जिलों से पांच सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

i. जिलों की दिव्यांगजन जनगणना की संख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा।

ii. सर्वाधिक दिव्यांगजन आबादी वाले 5 जिले सर्वप्रथम समिति में प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रति तीन वर्ष में इन जिलों को अगले सर्वाधिक निःशक्तता आबादी वाले जिलों से परिवर्तित किया जायेगा। यह व्यवस्था तब तक चालू रहेगी जब तक सभी जिलों का प्रतिनिधित्व पूर्ण न हो जाय।

iii. उक्त जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अवधि तीन वर्ष की होगी।

iv. सदस्यों का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर की अनुशंसा पर किया जायेगा।

v. कलेक्टर निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को नामांकित कर सकेंगे :–

- प्रतिष्ठितदिव्यांगजनजिनके स्वयं के द्वारा विशिष्ट उपलब्ध हासिल की गई है।
- संबंधित से सहमति पत्र प्राप्त किया जाना

52. सदस्यों की सेवा निबंधन और शर्ते

(1) राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा;

(2) राज्य सरकार, यदि वह ठीक समझती है, तो उपरोक्त नाम निर्देशित किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व, उसे उसके विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् हटा सकेगी;

(3) उपरोक्त नाम निर्देशित कोई सदस्य राज्य सरकार को अपने हस्ताक्षर सहित लेख किसी भी समय अथवा पद त्याग कर सकेगा;

(4) राज्य सलाहकार बोर्ड में कोई आकस्मिक रिक्ति, नए नामनिर्देशित द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिये नामनिर्देशित व्यक्ति उस शेष अवधि के लिये ही पद धारण करेगा;

सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के भत्ते

(1) राज्य सलाहकार बोर्ड के गैर–शासकीय सदस्यों को बैठक के वास्तविक दिन के लिए एक दो हजार रूपये प्रतिदिन के भत्ते का संदाय किया जायेगा।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड के गैर–शासकीय सदस्यों को, जो भोपाल में निवास नहीं कर रहे है, को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता का उस दर से संदाय किया जायेगा, जो राज्य सरकार के समूह "क" के अधिकारी को अनुज्ञेय है ,

परन्तु विधान सभा सदस्य की दशा में, विधान सभा सदस्य के रूप में अनुज्ञेय दर पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते का तब संदाय किया जायेगा जब विधान सभा सत्र नहीं हो और सदस्य द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाये कि उसने अन्य किसी स्त्रोत से उसी यात्रा और ठहरने के लिए कोई ऐसा भत्ता आहरित नहीं किया है।

(3) शासकीय सेवकों को दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते का संदाय संबंधित विभाग द्वारा जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है के नियमानुसार किया जा सकेगा।

53. निरर्हताएं

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा;

(क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया है या जिसने अपने ऋणों का संदाय निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है ; या

(ख) जो विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है ; या

(ग) जो ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है या ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है ; या

(घ) जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है या किसी समय सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ङ) जिसने राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरूपयोग किया है कि उसका राज्य सलाहकार बोर्ड में बने रहना जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल है।

(2) राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने का आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित सदस्य को उसके विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नही दे दिया जाता है।

(3) हटाया गया ऐसा सदस्य, पुनः नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा।

59. स्थानों का रिक्त होना

यदि राज्य सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य नियम 29 में उल्लेखित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

60. बैठकों की सूचना

(1) राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक सामान्यतः राज्य मुख्यालय पर ऐसी तारीखों को होगी, जैसी कि अध्यक्ष द्वारा नियत की जाये।

(2) बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार होगी। 10 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष द्वारा बैठक आयोजित की जा सकेगी।

(3) बैठक की सूचना बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा सात दिवस पूर्व सदस्यों को दी जाएगी, जिसमें स्थान, समय, तिथि तथा उसमें किये जाने वाले कार्य को विनिर्दिष्ट किया जाए।

(क) राज्य सलाहकार बोर्ड किसी दिन या किसी विशिष्ट दिन को अपनी बैठक स्थगित कर सकेगी।

(ख) जहाँ राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक एक दिन की सूचना पर स्थगित की जाये, तो ऐसी स्थगित होने वाली बैठक की सूचना समस्त सदस्यों को दी जायेगी।

(4) सदस्य–सचिव बैठक की सूचना सदस्यों को संवाहक द्वारा या उनके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी संचार माध्यमों से, जो अध्यक्ष मामले की परिस्थितियों में उचित समझे सूचना देगा।

(5) कोई सदस्य या उसके द्वारा 03 दिन का नोटिस दिये बिना अध्यक्ष द्वारा उसको अनुमति प्रदान किये जाने बिना बैठक के विचारार्थ किसी मामले को विचारार्थ नहीं रखेगा।

53. पीठासीन अधिकारी

अध्यक्ष राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रत्येक बैठक का अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड की बैठक करेगा किन्तु जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों किसी बैठक में अनुपस्थित हो, तो उपस्थित किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता के लिए नामांकित कर सकेगा।

54. गणपूर्ति

(1) किसी भी बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से होगी।

(2) यदि किसी बैठक में निर्धारित गणपूर्ति से कम सदस्य उपस्थित होने है, तो अध्यक्ष किसी अन्य तारीख के लिये बैठक स्थागित कर सकेगा, जैसा कि वह नियत करें।

(3) स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

55. कार्यवृत्त

(1) ऐसे सदस्यों का अभिलेख जो बैठक में उपस्थित रहे हों तथा बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख सदस्य सचिव द्वारा रखा जायेगा।

(2) आगे होने वाली प्रत्येक बैठक में पिछली बैठक का कार्यवृत्त प्रारम्भ में पढ़ा जायेगा तथा ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पुष्टिकृत तथा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

56. राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में अनुपस्थिति

राज्य सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य जो अध्यक्ष की बिना अनुमति लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित हो, राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

57. बैठक में व्यवस्था बनाये रखना

अध्यक्षता करने वाला अधिकारी बैठक में व्यवस्था बनाये रखेगा।

58. बैठक में किये जाने वाले कारबार का संव्यवहार

(1) अध्यक्षता करने वाले अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय कोई भी कारबार जो कार्यसूची में सम्मिलित न हो या जिसके संबंध में उपनियम 31 (4) के अधीन सदस्य द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई हो, किसी बैठक में संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

(2) प्रत्येक बैठक में कारबार का संव्यवहार उसी क्रम में होगा जिस क्रम में उसे कार्यसूची में सम्मिलित किया गया है, जब तक कि अध्यक्ष की अनुज्ञा से बैठक में अन्यथा संकल्प पारित न किया गया हो।

59. बहुमत में विनिश्चय

बोर्ड की बैठक में विचार हेतु लिये गये समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत तथा मतदान के आधार पर विनिश्चत किये जावेंगे और मतों के एक समानता के मामले में यथास्थिति अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का मत निर्णायक होगा।

60. रिक्तता या किसी कमी के कारण कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं होगी

राज्य सलाहकार बोर्ड की कोई भी कार्यवाही केवल रिक्तता की स्थिति या किसी समिति के संगठन की किसी कमी जैसे कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी।

61. राज्य सलाहकार बोर्ड के कृत्य

राज्य सलाहकार बोर्ड अधिनियम की धारा 71 (2) में उल्लेखित कृत्य करेगी।

62. जिलास्तरीय समिति

प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

1.	संबंधित जिले के कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3.	सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य
5.	महाप्रबंधक उद्योग	सदस्य
6.	परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
7.	जिला रोजगार अधिकारी	सदस्य
8.	निःशक्त कल्याण के अंतर्गत कार्यरत दो स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	ऐसे दो प्रतिष्ठितदिव्यांगजनजिन्होंने किसी क्षेत्र में	

विशिष्टि उपलब्धि प्राप्त की हो

11. संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवंदिव्यांगजनकल्याण सदस्य सचिव

(2) जिला स्तरीय समिति निःशक्त व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करेगा तथा शासन के समस्त विभागों, शासकीय/अशासकीय संगठनों से समन्वय कर दिव्यांगजनों के समग्र पुर्नवास की कार्यवाही, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन करेगा।

63. जिला स्तरीय समिति के कृत्य

(1) जिले की निःशक्त कल्याण वार्षिक योजना का अनुमोदन

(2) समस्त विभागों की इस अधिनियम से संबंधित गतिविधियों की त्रैमासिक समीक्षा

(3) मीडिया प्लान की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन समीक्षा

(4) निःशक्त विद्यार्थियों की शिक्षा में प्रगति एवं समस्याओं के समाधान की समीक्षा

(5) निःशक्त पुनर्वास केन्द्र के वार्षिक कार्ययोजना की समीक्षा

(6) बाधारहित वातावरण को समय–सीमा में कराये जाने की समीक्षा एवं समस्या समाधान

(7) शीघ्र पहचान, निदान एवं उपचार की समीक्षा

(8) जिला स्तर पर निःशक्तजनों हेतु दिये गये बजट के उपयोग एवं आडिट की समीक्षा

(9) राज्य शासन द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यो की समीक्षा

64. सदस्यों की सेवा निबंधन और शर्ते

(1) जिला स्तरीय समिति का सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा;

(2) राज्य सरकार, यदि वह ठीक समझती है, तो उपरोक्त नाम निर्देशित किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व, उसे उसके विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् हटा सकेगी;

(3) उपरोक्त नाम निर्देशित कोई सदस्य राज्य सरकार को अपने हस्ताक्षर सहित लेख किसी भी समय अथवा पद त्याग कर सकेगा;

(4) जिला स्तरीय समिति में कोई आकस्मिक रिक्ति, नए नामनिर्देशित द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिये नामनिर्देशित व्यक्ति उस शेष अवधि के लिये ही पद धारण करेगा;

65. जिला स्तरीय समिति के सदस्यों के भत्ते

(1) जिला स्तरीय समिति के गैर–शासकीय सदस्यों को बैठक के वास्तविक दिन के लिए एक दो हजार रूपये प्रतिदिन के भत्ते का संदाय किया जायेगा।

(2) जिला स्तरीय समिति के गैर–शासकीय सदस्यों को, जो भोपाल में निवास नहीं कर रहे है, को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता का उस दर से संदाय किया जायेगा, जो राज्य सरकार के समूह "क" के अधिकारी को अनुज्ञेय है ,

(3) शासकीय सेवकों को दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते का संदाय संबंधित विभाग द्वारा जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है के नियमानुसार किया जा सकेगा।

66. निरर्हताएं

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिला स्तरीय समिति का सदस्य नहीं होगा;

(क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया है या जिसने अपने ऋणों का संदाय निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है ; या

(ख) जो विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है ; या

(ग) जो ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है या ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है ; या

(घ) जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है या किसी समय सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ड़) जिसने राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरूपयोग किया है कि उसका राज्य समन्वय समिति में बने रहना जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल है।

(2) राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने का आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित सदस्य को उसके विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नही दे दिया जाता है।

(3) हटाया गया ऐसा सदस्य, पुनः नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा।

67. स्थानों का रिक्त होना

यदि जिला स्तरीय समिति का कोई सदस्य नियम 29 में उल्लेखित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

68. बैठकों की सूचना

(1) जिला स्तरीय समिति की बैठक सामान्यतः राज्य मुख्यालय पर ऐसी तारीखों को होगी, जैसी कि अध्यक्ष द्वारा नियत की जाये।

(2) बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार होगी। 10 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष द्वारा बैठक आयोजित की जा सकेगी।

(3) बैठक की सूचना समीति के सदस्य सचिव द्वारा सात दिवस पूर्व सदस्यों को दी जाएगी, जिसमें स्थान, समय, तिथि तथा उसमें किये जाने वाले कार्य को विनिर्दिष्ट किया जाए।

(क) जिला स्तरीय समिति किसी दिन या किसी विशिष्ट दिन को अपनी बैठक स्थगित कर सकेगी।

(ख) जहाँ जिला स्तरीय समिति की बैठक एक दिन की सूचना पर स्थगित की जाये, तो ऐसी स्थगित होने वाली बैठक की सूचना समस्त सदस्यों को दी जायेगी।

(4) सदस्य–सचिव बैठक की सूचना सदस्यों को संवाहक द्वारा या उनके पते पर रजिर्स्टड डाक द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी संचार माध्यमों से, जो अध्यक्ष मामले की परिस्थितियों में उचित समझे सूचना देगा।

(5) कोई सदस्य या उसके द्वारा 03 दिन का नोटिस दिये बिना अध्यक्ष द्वारा उसको अनुमति प्रदान किये जाने बिना बैठक के विचारार्थ किसी मामले को विचारार्थ नहीं रखेगा।

68. **पीठासीन अधिकारी** अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति की प्रत्येक बैठक का अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड की बैठक करेगा किन्तु जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों किसी बैठक में अनुपस्थित हो, तो उपस्थित किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता के लिए नामांकित कर सकेगा।

69. **गणपूर्ति**

(1) किसी भी बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से होगी।

(2) यदि किसी बैठक में निर्धारित गणपूर्ति से कम सदस्य उपस्थित होने है, तो अध्यक्ष किसी अन्य तारीख के लिये बैठक स्थागित कर सकेगा, जैसा कि वह नियत करें।

(3) स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

70. **कार्यवृत्त**

(1) ऐसे सदस्यों का अभिलेख जो बैठक में उपस्थित रहे हों तथा बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख सदस्य सचिव द्वारा रखा जायेगा।

(2) आगे होने वाली प्रत्येक बैठक में पिछली बैठक का कार्यवृत्त प्रारम्भ में पढा जायेगा तथा ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पुष्टिकृत तथा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

71. जिला स्तरीय समिति **की बैठक में अनुपस्थिति**

जिला स्तरीय समिति का कोई सदस्य जो अध्यक्ष की बिना अनुमति लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित हो, जिला स्तरीय समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

72. **बैठक में व्यवस्था बनाये रखना**

अध्यक्षता करने वाला अधिकारी बैठक में व्यवस्था बनाये रखेगा।

73. **बैठक में किये जाने वाले कारबार का संव्यवहार**

(1) अध्यक्षता करने वाले अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय कोई भी कारबार जो कार्यसूची में सम्मिलित न हो या जिसके संबंध में उपनियम 31 (4) के अधीन सदस्य द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई हो, किसी बैठक में संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

(2) प्रत्येक बैठक में कारबार का संव्यवहार उसी क्रम में होगा जिस क्रम में उसे कार्यसूची में सम्मिलित किया गया है, जब तक कि अध्यक्ष की अनुज्ञा से बैठक में अन्यथा संकल्प पारित न किया गया हो।

74. बहुमत में विनिश्चय

समिति की बैठक में विचार हेतु लिये गये समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत तथा मतदान के आधार पर विनिश्चत किये जावेंगे और मतों के एक समानता के मामले में यथास्थिति अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का मत निर्णायक होगा।

75. रिक्तता या किसी कमी के कारण कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं होगी

जिला स्तरीय समिति की कोई भी कार्यवाही केवल रिक्तता की स्थिति या किसी समिति के संगठन की किसी कमी जैसे कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी।

अध्याय –12

76. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त

राज्य शासन निःशक्त व्यक्तियों के लिए आयुक्त, निःशक्तजन की नियुक्ति करेगा।

77. आयुक्त, निःशक्तजन के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ

1. आयुक्त, निःशक्तजन के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति योग्य नहीं होगा जब तकः–

(क) उनके पास निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है,

(ख) आयुक्त, निःशक्तजन, म.प्र. के पद पर नियुक्ति के आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में आवेदन देने की अंतिम तिथि वाले वर्ष की 1 जनवरी को उसने 62 वर्ष की आयु से अधिक न हो,

(ग) यदि वे केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के अधीन सेवा में है तो वह पद पर उनकी नियुक्ति से पहले ऐसी सेवा से सेवा निवृत्ति की मांग करेगा।

(घ) आल इण्डिया सर्विस, केन्द्र शासन एवं राज्य शासन की अन्य सिविल सेवाओं के सदस्यों से सेवा निवृत्त ऐसे अधिकारी जिन्हें दिव्यांगता के क्षेत्र में नीति निर्धारण एवं प्रशासन का अनुभव हो,

(ड) उनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव है अर्थात्

अ. **शैक्षणिक योग्यता**

(i) अनिवार्य–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

(ii) वांछनीय– सामाजिक कार्य या कानून या प्रबंधन या मानव अधिकारों या निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास या निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा,

ब. **अनुभव**

उपरोक्त समूह अ या समकक्ष पद में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव

(i) केन्द्रीय या राज्य शासन में या

(ii) सार्वजनिक उपक्रम या अर्द्ध शासकीय या ऐसे स्वायत्त संस्थाएं जो निःशक्त मामलों या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हो,

(iii) दिव्यांगता या सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य या राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की स्वैच्छिक संगठन में एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी की क्षमता में कार्य किया हो।

परन्तु इस उपखण्ड में उल्लेखित कुल 25 वर्षों के अनुभव में कम से कम वर्तमान के 3 वर्षो में निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुभव हो।

78. **आयुक्त, निःशक्तजन के लिए निरर्हतायें**– कोई ऐसा व्यक्ति आयुक्त, निःशक्तजन के पद पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा यदि –

(क) दिवालिया है या किसी समय दिवालिया घोषित किया गया है, या

(ख) विकृतचित्त का है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है,

या

(ग) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी घोषित किया गया है जो सरकार की राय में नैतिक मूल्यों के विरूद्व है, या

(घ) किसी समय किसी अपराध के लिये वह दोषी पाया गया है या दोषी घोषित किया गया है, या

(ङ) वह सदस्य के रुप में अपने शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है तथा राज्य सरकार की राय में आयुक्त ,निःशक्तजन के रूप में उसकी सेवाएं लोकहित के विरूद्व हैं और

(च) उसने आयुक्त, निःशक्तजन के रुप में दो कार्यकाल पूर्ण कर लिए है।

79. आयुक्त, निःशक्तजन का कार्यकाल

(1) आयुक्त का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा और आगे 2 वर्ष की अवधि हेतु अथवा 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकेगा।

(2) पदधारण किये जाने की तारीख से अथवा 65 वर्ष की आयु हो जाने तक, जो भी पहले हो, आयुक्त, निःशक्तजन का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा।

(3) एक व्यक्ति आयुक्त के तौर पर अधिकतम दो कार्यकाल अवधि हेतु कार्य कर सकता है, बशर्ते आयुक्त 65 वर्ष की आयु के ना हो गये हो। आयुक्त, निःशक्तजन, म.प्र. की पदावधि उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष होगी।

80. आयुक्त, निःशक्तजन का मुख्यालय

आयुक्त, निःशक्तजन का मुख्यालय भोपाल होगा ।

79. आयुक्त, निःशक्तजन के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएँ

(1) आयुक्त, निःशक्तजन को राज्य शासन के प्रमुख सचिव के समकक्ष वेतन, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

(2) जहाँ कोई आयुक्त, निःशक्तजन, शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त अधिकारी हो के मामले में मानदेय सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन से पेंशन घटाने के पश्चात् जो राशि होगी, वह देय होगी।

81. आयुक्त, निःशक्तजन की अन्य शर्तें और निबंधन

(1) आयुक्त, निःशक्तजन उस अवकाश के लिए पात्र होगा जो राज्य सिविल सेवा नियम के प्रावधानों के तहत प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए स्वीकार्य है।

86. आयुक्त, निःशक्तजन कार्यालय हेतु अमला

(क) आयुक्त, निःशक्तजन कार्यालय हेतु आवश्यक अमला अनुसूची (2) में दिये अनुसार होगा

(ख) उक्त अमले पर पूर्ण नियंत्रण आयुक्त, निःशक्तजन का होगा।

87. अवशिष्ट प्रावधान– आयुक्त, निःशक्तजन की सेवा की अन्य शर्तें जिसमें अधिनियम की धारा 79 के प्रावधानों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है नियम और आदेशों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

88. सलाहकार समिति का गठन–

1. राज्य शासन निम्नानुसार सदस्यों सहित एक सलाहकार समिति का गठन करेगी :–

   क. अधिनियम के अनुसूची में उल्लेखित विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं के पांच समूहों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन विशेषज्ञ जिनमें से एक महिला होगी।

   ख. राज्य शासन द्वारा नामांकित दो विशेषज्ञ या वरिष्ठ अधिकारी

2. सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. आयुक्त, निःशक्तजन किसी विषय विशेषज्ञ को आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकेगा जो उसे बैठक या सुनवाई में और रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करेगा।

89. आयुक्त, निःशक्तजन द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया–

1. शिकायकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा या पंजीकृत डाक अथवा ई–मेल के माध्यम से आयुक्त, निःशक्तजन को निम्नलिखित विवरण सहित शिकायत प्रस्तुत कर सकेगाः–

   अ. शिकायतकर्ता का नाम, विवरण एवं पता

   ब. अनावेदक का नाम, विवरण एवं पता

   स. शिकायत से संबंधित तथ्य, तथ्यों की उत्पत्ति एवं कारण

   द. शिकायतों के निहित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज

इ. शिकायकर्ता द्वारा चाही गई राहत

2. शिकायत प्राप्त होने पर आयुक्त, निःशक्तजन शिकायत की प्रतिलिपि प्रतिवादी पक्ष को अथवा पक्षों को शिकायत में उल्लेखित तथ्यों पर अपना पक्ष रखने हेतु 30 दिवस की अवधि के भीतर अथवा बढ़ी हुई अवधि जो 15 दिवस से अधिक न हो, को भेजेगा।

3. संबंधित पक्ष सुनवाई की तिथि या किसी भी अन्य तिथि को सुनवाई हेतु आयुक्त,दिव्यांगजनके समक्ष पेश होंगे।

4. शिकायतकर्ता अथवा प्रतिनिधि, आयुक्त, निःशक्तजन के समक्ष पेश होने की तिथि में विफल रहने पर आयुक्त, निःशक्तजन शिकायत खारिज करने अथवा प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर निर्णय ले सकेगा।

5. जहां प्रतिवादी अथवा प्रतिनिधि सुनवाई की तारीख में उपस्थित रहने में विफल रहने पर आयुक्त, निःशक्तजन अधिनियम की धारा 82 के तहत संबंधित को समंस जारी करने एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही कर सकेगा।

6. आयुक्त, निःशक्तजन आवश्यक होने पर प्रकरण में एकतरफा निर्णय ले सकेगा।

7. आयुक्त, निःशक्तजन ऐसी शर्तों पर जैसा वह उचित समझे कार्यवाही को किसी भी स्तर पर शिकायत की सुनवाई बढ़ा सकेगा।

8. प्रतिवादी से उत्तर प्राप्त होने की तीन माह की अवधि के भीतर आयुक्त, निःशक्तजन शिकायत पर निर्णय ले सकेगा।

90. आयुक्त, निःशक्तजन की सहायता के लिए सलाहकार समिति

1. राज्य शासन एक सलाहकार समिति की नियुक्ति करेगी जो अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित विनिर्दिष्ट निःशक्त समूह के प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व करते है, जिसमें पांच विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनमें से दो महिलाएं होंगी।

2. आयुक्त, निःशक्तजन किसी विषय विशेषज्ञ को आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकेगा जो उसे बैठक या सुनवाई में और रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करेगा।

3. सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। सदस्यों को पुनः नामांकन की पात्रता नहीं होगी।

4. सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिवस का भत्ता रू 2000/– दिया जायेगा।

5. सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्य जो भोपाल से बाहर निवासरत है को राज्य शासन के समूह अ के अधिकारी के लिए स्वीकृत दर पर वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिवस के लिए दैनिक और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

91. **वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना–** (1) आयुक्त, निःशक्तजन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात राज्य शासन को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सही और निष्ठित विवरण का लेखा देगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट होगी, अर्थात :–

(क) बोर्ड के कर्मचारीवृंद और अधिकारियों के नाम और संगठनात्मक स्थापन प्रदर्शित करने वाला एक चार्ट;

(ख) अधिनियम की धारा 75 और धारा 76 के अधीन जिन कृत्यों के लिए आयुक्त, निःशक्तजन को सशक्त किया गया है और इस संबंध में निष्पादन की मुख्य–मुख्य बातें;

(ग) आयुक्त, निःशक्तजन द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें;

(घ) अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य में की गई प्रगति;

(ङ) आयुक्त, निःशक्तजन द्वारा समय–समय पर अंतर्दिष्ट किए जाने एवं समझे विषय या भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

अध्याय–13

92. **लोक अभियोजक की नियुक्ति**

(1) राज्य शासन द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय में निम्नानुसार अर्हताधारक लोक अभियोजक नियुक्त होंगे :–

(अ) निःशक्त व्यक्तियो के मामलों से निपटने का व्यवहारिक अनुभव

(ब) वकालत का कम से कम पांच वर्षों का अनुभव

(स) स्थानीय भाषा एवं रीति–रिवाजों का ज्ञान

(2) विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को फीस एवं अन्य भत्ते राज्य शासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 191) के तहत नियुक्त लोक अभियोजक द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित दर अनुसार होंगे।

अध्याय–14

93. राज्य निधि का प्रबंधन–

(1) दिव्यांगजनों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए राज्य शासन द्वारा राज्य निधि का सृजन किया जायेगा।

(अ) अनुदान, उपहार, दान, लाभ, वसीयत या स्थानान्तरण के माध्यम से प्राप्त से सभी रकम

(ब) राज्य शासन से प्राप्त अनुदान सहित समस्त राशि

(स) अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि जिन्हें राज्य शासन द्वारा तय किया गया हो।

(द) म.प्र. निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013 की निधि में प्रत्येक जिले से प्राप्त अंश

(2) राज्य निधि के लेखा एवं रिकार्ड जिसमें आय एवं व्यय का ब्यौरा भी सम्मिलित रहेगा अनुसूची (3) में दिये अनुसार रखी जायेगी।

(3) इस निधि का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण प्रतिवर्ष किया जायेगा।

(2) राज्य निधि के प्रबंधन हेतु निम्न सदस्यों से मिलकर एक राज्य निधि प्रबंधन समिति होगीः–

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम, उद्योग, नगरीय प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	विभिन्न दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व हेतु संबंधित निःशक्तता के दो व्यक्ति/संस्था जो राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड में	सदस्य

नामांकित हो (रोटेशन अनुसार)

4. राष्ट्रीय न्यास के स्टेट नोडल एजेंसी संस्था — सदस्य
5. आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण — सदस्य–सचिव

(3) समिति की प्रायः आवश्यकता अनुसार बैठकें होगी, परन्तु प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है।

(4) समिति का कोई भी सदस्य ऐसी सदस्यता धारित करने के दौरान निधि का लाभार्थी नहीं होगा।

(5) नामित गैर–सरकारी सदस्य की वही पात्रता होगी जो राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुज्ञेय है।

(6) कोई व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं हो सकता यदि–

(क) उसे ऐसे अपराध के लिए सजा दी गई है जिसे राज्य सरकार की राय में चरित्रहीनता मानी गई हो; और

(ख) दिवालिया हो अथवा किसी समय दिवालिया रहा हो।

94. राज्य निधि का उपयोग

1. राज्य निधि का उपयोग निम्नलिखित उददेश्यों के लिए किया जायेगा अर्थात्

(अ) उन क्षेत्रों में वित्तीय सहायता जो राज्य शासन के किसी भी योजना या कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से शामिल नहीं है,

(ब) प्रशासनिक एवं अन्य व्यय जैसा कि अधिनियम के प्रयोजनों के तहत आवश्यक है,

(स) समिति द्वारा तय किये गये ऐसे अन्य उद्देश्यों के अनुसार।

(2) व्यय के प्रत्येक मद को अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(3) समिति राज्य निधि के प्रबंधन और उपयोग की देखभाल करने के लिए ऐसे नियमों और शर्तों के साथ लेखापाल सहित सचिवीय कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जैसे कि आवश्यकता हो।

(4) राज्य निधि का उपयोग ऐसे तरीके से किया जायेगा जैसा कि समिति उचित समझे।

95. बजट– राज्य निधि का मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक वर्ष जनवरी में निधि की आकलित प्राप्ति और व्यय दर्शाते हुये प्रत्येक वित्तीय वर्ष निधि के अंतर्गत व्यय करने हेतु एक बजट तैयार करेगा और उस पर विचार किए जाने हेतु समिति के समक्ष रखेगा।

96. वार्षिक रिपोर्ट

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में राज्य निधि पर एक अध्याय सम्मिलित किया जावेगा।

अध्याय–16

97. राज्य सरकार की पूर्वानुमति

अधिनियम की धारा 94 के प्रयोजनों के लिए आयुक्त,/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण प्राधिकृत होंगे।

–––––0–––––